कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी जिला –हरदा

क्रमांक / 5999 / एस.डब्लू / कोरोना / 2021 हरदा दिनांक 20 / 04 / 2021

" आदेश "

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35–09/ 2020/दो/सी–2 भोपाल दिंनाक 12 अप्रैल 2021जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में डिस्ट्रिक्ट क्रायसिस मैनेजमेंट बैठक दिनांक 15/04/2021 में लिये गये निर्णय उपरांत इस कार्यालय आदेश क्रमांक 5866/एस.डब्लू/2021 हरदा दिनांक 15/04/2021 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 35–09/ 2020/दो/सी–2 भोपाल दिंनाक 20 अप्रैल 2021 के अनुक्रम में **मैं, संजय गुप्ता, कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जिला हरदा** एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पूर्व में जारी आदेश दिनांक 15/04/2021 को यथावत रखते हुये सम्पूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार अतिरिक्त आदेश जारी करता हूँ :–

1. ऑटो, ई–रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरर्स को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी ।
2. सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोंरजन/शैक्षणिक/सांकृतिक/सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित होगा ।
3. बडी सब्जी मण्डियों को छोटे–छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटी जावें।
4. किराना के थोक व्यापरियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत् एंव निर्बाध रूप से किया जावें ।

चुँकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी ।

यह आदेश आज दिनांक 20/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की सील से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(संजय गुप्ता)
कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी
जिला हरदा

कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्रमांक/6000/एस.डब्लू/2021 हरदा दिनांक 29 04/2021

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लाभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल एंव प्रभारी अधिकारी कोविड–19 जिला हरदा।
4. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ।
5. माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरदा ।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6. पुलिस अधीक्षक हरदा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा ।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी हरदा ।
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा ।
10. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला हरदा ।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा ।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला हरदा ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला हरदा ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 हरदा वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
16. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला हरदा ।
17. विभाग प्रमुख ————————जिला हरदा ।
18. प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ——————————————जिला हरदा की ओर अपने
19. थाना प्रभारी, थाना

प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला हरदा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner